उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-167/2017/1447/92-2-2017-37आईएस/88
लखनऊ :: दिनांक:: 18 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उ0प्र0 सर्तकता अनुभाग-1 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2647/39-1-1एफ(2)/89 दिनांक 12-12-1990 द्वारा श्री फखरूददीन खॉ, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व भ्रष्टाचार संबंधी आरोपो की खुली जॉच/अन्वेषण में चेक अवधि के दौरान एक स्कूटर व एक फ्रिज सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व अनुमति/सूचना के खरीदा जाना पाया गया। उक्त हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1239/92-2-17-37आरईएस/88 दिनांक 20-07-2017 द्वारा श्री फखरूददीन खॉ का उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया, जिस पर अपचारी अधिकारी, श्री फखरूददीन खॉ के पत्र संख्या-507/ग्रा0अ0वि0/स्था0/व्य0प0/2017-18 दिनांक 01-08-2017 द्वारा बचाव उत्तर उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री फखरूददीन खॉ के विरूद्व शासन द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, सर्तकता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या तथा अन्य संबंधित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री फखरूददीन खॉ के विरूद्व शासन द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण दिनांक 20-07-2017 को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-167/2017/1447(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- सर्तकता अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्ध0शा0पत्र सं0-1033/39-1-16-1एफ(2)/89 दि0 01-05-2017 के क्रम में।
2- श्री फखरूददीन खॉ, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति-अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-फतेहपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in